भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1462

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

आरबीआई रेपो दर

1462. श्री असादुद्दीन ओवैसी: श्री रितेश पाण्डेय:
श्री सैयद इम्तियाज जलील: श्री एस. सी. उदासी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो (आरईपीओ) दर में औसतन कितनी राशि की कमी की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बैंकों ने रेपो दर में कमी के लाभ को अनुपातिक रूप से ग्राहकों को प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर विद्यमान आर्थिक मंदी और आसन्न आर्थिक मंदी के दौरान बैंक राजकोषीय नीति उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्ष में पॉलिसी रेपो दर में निम्न प्रकार से बदलाव हुआ है:

प्रारम्भ होने की तिथि	रेपो दर
28.1.2014	8.00 %
15.1.2015	7.75 %
4.3.2015	7.50 %
2.6.2015	7.25 %
29.9.2015	6.75 %
5.4.2016	6.50 %
4.10.2016	6.25 %
2.8.2017	6.00 %
6.6.2018	6.25 %
1.8.2018	6.50 %
7.2.2019	6.25 %
4.4.2019	6.00 %
6.6.2019	5.75 %

(ख) और (ग): आरबीआई से प्राप्तजानकारी के अनुसार, जनवरी, 2014 से अप्रैल,2019 की अवधि के दौरान जबकि पॉलिसी रेपो दर संचयी आधार पर 200 आधार बिन्दु तक कम कर दिये गये थे, बैंकों द्वारा स्वीकृत नये रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में 204 आधार बिंदु तक कमी आयी। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सूचित किया है कि कुछेक ऐसे अंतराल हैं जिनमें बैंक पॉलिसी दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तरमें अपनी जमा और उधार दर को समायोजित करता है और यह हस्तांतरण हमेशा आनुपातिक अथवा एकैकी नहीं होता है। तथापि, कुछ घटक जैसे परिपक्वता अंतर और ब्याज दर जोखिम जो नियत दर जमा और बैंक में अस्थायी दरों के साथ ऋण प्रोफाइल के कारण उत्पन्न होते हैं, जो पूर्णमौद्रिक हस्तांतरण को बाधित करते हैं।

(घ): राजकोषीय नीति आर्थिक उद्देश्यों के लिए सरकारी राजस्व संग्रह और व्यय के प्रयोग से संबंधित है। यह मूलतः कर-निर्धारण नीति और सरकार के समग्र व्यय और व्यय प्राथमिकताओं से संबंधित है। बैंक विधि के अनुसार करों का भुगतान करते हैं और सार्वजनिक व्यय द्वारा इंगित नीति निर्देशों का ध्यान रखते हैं।

*****